प्रकरण संख्या 64/2023 अनवान कमला देवी बनाम कृष्णराम वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 22.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-64/2023 **निर्णय दिनांक -22.10.2024**
(जी.सी.एम.एस.-2023/90)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान -

01- कमला देवी पुत्री रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

02- काशीराम पुत्र श्री रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

03- डूंगरराम पुत्र श्री रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

04- पूर्णराम पुत्र रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

05- रामीदेवी पुत्री रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

06- लालचन्द पुत्र रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

07- विमला देवी पुत्री रामरख जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

08- चन्द्रावल पुत्री छोटू जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

09- सरती पुत्री छोटू जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

10- हरकौरी पुत्री छोटु जाति कुम्हार निवासी 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

......प्रार्थीगण......

बनाम-

01- कृष्णराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 13बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

02- भादरराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी 13बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

03- रणजीतराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 13बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

04- हीराराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी 13बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

05- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण ......

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपस्थिति-

01- श्री सिमरथ सिंह [illegible]

02- श्री प्रेम सिंह सैनी, बक्शीश सिंह थिन्द, [illegible]ल अप्रार्थीगण संख्या 01 ता[illegible]

03- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 64/2023 अनवान कमला देवी बनाम कृष्णराम वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 22.10.2024

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-

प्रार्थीगण के नाम से चक 13 बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 2 प.न. 230/403 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325 है0 भूमि कमाण्ड /अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यहां यह बताना उचित समझते है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित रकबा मु.न. 230/403 में आने जाने के लिए पक्की सड़क से प्रार्थीगण के रकबा तक कोई सुगम रास्ता नहीं है। चक 13 बी.एल.डी.ए तहसील श्री विजयनगर का का मु.न. 1 प.न. 231/403 का प्रार्थीगण के उपरोक्त रकबा के सलंग्न रकबा है एंव मु.न. 1 प.न. 231/403 का कि.न. 1 में डामर रोड है। प्रार्थीगण उक्त मु.न. 1 के कि.न. 1 चल रही डामर रोड से मु.न. 1 का कि.न. 1 ता 5 में से पत्थरलाईन के साथ साथ होते हुए अपने रकबा मु.न. 2 प.न. 230/403 का कि.न. 1 में प्रवेश करते है उक्त भूमि को ही प्रार्थीगण रास्ता के रूप में काफी वर्षो से उपयोग कर रहे है किन्तु उपरोक्त भूमि मु.न. 1 कि.न. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है उपरोक्त चक 13 बी.एल. डी. ए का मु.न. 1 प.न. 231/403 का कि.न. 1 ता 5 का रकबा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चूँकि प्रार्थीगण के रकबा में आने जाने के लिए मु.न. 1 का कि. न. 1 ता 5 में सहमति से चल रहे रास्ता के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है व उक्त वर्णित प्रार्थीगण के उपयोग मे आ रहा रास्ता की भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम से खातेदारी दर्ज है जिसमें कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है जिस कारण से उक्त भूमि में हमारे उपयोग में आ रहे रास्ता को कभी भी बंद या बाधित किया जा सकता है व अन्य व्यक्ति को भूमि अन्तरित करने पर उक्त रास्ता बंद या बाधित हो सकता है जिससे प्रार्थीगण के रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही होने से व उक्त रास्ता को बंद या बाधित कर दिया जाने पर प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने व अपने कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जावेगा जिससे प्रार्थीगण की भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी व प्रार्थीगण के पास आय का एक मात्र साधन उक्त भूमि ही है जो कि रास्ता के अभाव में बंजर हो जाने पर प्रार्थीगण के पास आय का काई साधन नहीं रह जावेगा इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण से समय समय पर मिलकर उक्त रास्ता के लिए उपयोग में आ रही भूमि मु.न. 1 प. न. 231/403 का किन. 1 ता 5 में पत्थर लाईन के साथ साथ 2-2 बिस्वा भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि आप यहां से आवागमन कर रहे हो करते रहो हम कभी आपको नहीं रोकेगे व जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि का आयोजन होगा तो इसे रास्ता आम के रूप में स्वीकृ करवा लेगे जिस पर प्रार्थीगण सद्भावी विश्वास करते रहे अब वर्तमान में पंचायतवार कैम्पो का आयोजन होने पर आज से दस रोज पूर्व जब उक्त भूमि मु.न. 1 का किन. 1 ता 5 में 2-2 विस्वा भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण टाल मटौल करने लगे जिस पर मौतबीरान व्यक्तियों के समक्ष उन्हे कहा कि आप अपनी भूमि की निर्धारित दर अनुसार कीमत प्राप्त कर उक्त भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाने में मदद करें तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही उक्त रास्ता के उपयोग मे आ रही भूमि को काश्त कर प्रार्थीगण का अवागमन बंद कर देगे व प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने से महरूम कर देगे। प्रार्थीगण अपने रकबा में आने जाने के लिए चक 13 बी.एल.डी. ए का मु.न. 1 प.न. 231/403 का किन. 1 ता 5 में 2-2 विस्वा [illegible] आम के रूप में स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] भूमि चक 13 बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 2 प.न. 230/403 [illegible] प्रवेश के लिए मु.न. 1 प.न. 231/403 का किन. 1 में चल रही डामर रोड [illegible] पत्थर लाईन के साथ साथ 16.5 फुट चौडाई में मु.न. 2 का कि.न. 1 की हद तक रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाने के आदेश पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 जरिये वकील श्री साहिब बाघला उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो संलग्न मिसल है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत 12 बीएलएम-ए एवं पटवारी हल्का 12 बीएलएम-ए की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 वृत 12 बीएलएम-ए एवं पटवारी हल्का 12 बीएलएम-ए द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्वय है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा वाके चक 13 बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 2 प.न. 230/403 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325 है0 भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने रकबा चक 13 बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 2 प.न. 230/403 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325 है0 भूमि कमाण्ड /अनकमाण्ड खातेदारी भूमि को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक/स्वीकृत शुद्धा मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

क्रियान्वित -:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 13 बी.एल.डी. ए तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 2 प.न. 230/403 का रकबा में प्रवेश के लिए मु.न. 1 प.न. 231/403 का किन. 1 में चल रही डामर रोड से कि.न. 1 ता 5 में (किला नम्बर 1 में बनी समाधि की पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा की तरफ) पत्थर लाईन के साथ साथ 16.5 फुट चौडाई में मु.न. 2 के कि.न. 1 की हद तक रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner